



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 857-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2013-2-मा०सं०प्र०-02/2003(टी०सी०-3)

दिनांक: 21 मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के विकलांग एवं नेत्रहीन सेवकों को अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं०: 759-मा०सं०प्र०-02/वि०उ०नि०लि०/2003-2-मा०सं०प्र०-02/2003(टी०सी०), दिनांक 31.03.2003 के अनुक्रम में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता की दरों को दिनांक 01.01.1996 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्वनिर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासन की अनुरूपता में पुनरीक्षित करते हुए निगम के पूर्णकालिक विकलांग कार्मिकों/नेत्रहीन कार्मिकों को निम्नानुसार वेतन स्तर के समक्ष अंकित दर के अनुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता को अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क०सं०	01.01.1996 से प्रवृत्त वेतनमानों में वेतन-स्तर (मूल वेतन)	01.01.2006 से लागू वेतनमानों में	वर्तमान में अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता की दर (रु० प्रतिमाह)	वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रु० प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
1	रु० 3050 से रु० 5999 तक	पे-बैंड-एक रु० 5200-20200 में ग्रेड-वेतन 2200 तक	रु० 200.00	रु० 400.00
2	रु० 6000 एवं अधिक	पे-बैंड-एक और इससे ऊपर तथा ग्रेड-वेतन 2600 और अधिक	रु० 250.00	रु० 500.00

- 2- इस आदेश से उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में विद्यमान वेतनमान/ ग्रेड पे ही आच्छादित होंगे।
- 3- उपरोक्त वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: 857 -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2013, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

21/5/13

कमरा:2

- (5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 155 वीं बैठक जो दिनांक 10.05.2013 को सम्पन्न हुई के एजेण्डा आइटम-01 के संदर्भ में।
- (9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
- (11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (15) कट फाइल।

आज्ञा से,



(एम0डी0मिश्र)

उपमहाप्रबन्धक(02)